मौलिक अधिकारों में प्राथमिक शिक्षा को शामिल करने संबंधी समिति

3116. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए गम्भीरता से विचार करने और सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनसे नवम्बर, 1996 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का भी आग्रह किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, और रिपोर्ट की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के प्रस्ताव की वित्तीय, प्रशासनिक, कानूनी तथा शैक्षिक से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री (शिक्षा) श्री मुही राम सैकिया की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

(ख) गठित की गई इस समिति के सदस्यों के नाम, इस विभाग के दिनांक 29 अगस्त, 1996 के आदेश की प्रति में दिए गए हैं जो विवरण में है। (नीचे देखिए)

(ग) आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट 15 जनवरी, 1997 तक बढ़ाई गई अवधि के अन्दर प्रस्तुत कर देगी।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

सं० एफ० 1-53/92-ई०ई०

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त, 1996

आदेश

संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में, इस शताब्दी के अंत तक प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी मौलिक अधिकार का संकल्प किया गया है । यह प्रस्ताव इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूचे देश को आवश्यक सम्बल प्रदान करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित संसाधनों को जुटाने में सहायक सिद्ध होगा। 10 अगस्त, 1996 को आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव के गुण-दोषों पर विचार किया गया। प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि इस प्रस्ताव से संबंधी कानूनी वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षिक कठिनाइयों पर गहन विचार करने के लिए राजनैतिक स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श करना आवश्यक था। तदनुसार, इस प्रस्ताव में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों (कानूनी, वित्तीय प्रशासनिक और शैक्षिक) की जांच करने के लिए मंत्रियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इस समिति का गठन इस प्रकार होगा:—

1. श्री मुही राम सैकिया, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार

अध्यक्ष

2. श्री जय प्रकाश नारायण यादव, शिक्षा मंत्री, बिहार

3. श्री कान्ति विश्वास, प्रभारी मंत्री, स्कूल शिक्षा, पश्चिम बंगाल

4. माननीय प्रो० ए० अनबाझागन, शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु

5. श्री पी०जे० जोसेफ, शिक्षा मंत्री, केरल

6. श्री एच०जी० गोविन्दा गौड़ा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, कर्नाटक

7. श्री सुधीर जोशी, स्कूल शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र

8. श्री मुकेश नायक, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश

9. श्री राम विलास शर्मा, शिक्षा मंत्री, हरियाणा

10. श्री गुलाब चन्द कटारिया, शिक्षा मंत्री, राजस्थान

11. श्री जय देश जेना, स्कूल और जन शिक्षा मंत्री, उड़ीसा

12. श्री इराबत सिंह, शिक्षा मंत्री, मणिपुर

13. श्री बी० दुर्गा प्रसाद राव, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश

14. श्रीमती चित्रा नायक, सदस्य, योजना आयोग

15. श्री ए० मोहन दास मोसेस, सलाहकार, जम्मू और कश्मीर

16. श्री अभिमन्यु सिंह, संयुक्त सचिव ई०ई० (शिक्षा विभाग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय) सदस्य-सचिव।

विशेष आमंत्रित व्यक्ति

17. विधि सचिव या उनका नामित व्यक्ति जिसका स्तर संयुक्त सचिव से कम न हों।

18. डा० आर०वी० वैद्यनाथ अय्यर, अपर सचिव

19. श्री आर०एस० पाण्डेय, संयुक्त सचिव (डी०पी०ई०पी०)

20. श्री एस० सत्यमूर्ति, वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:—

I. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव संबंधी कानूनी, शैक्षिक प्रशासनिक और वित्तीय दिक्कतों की जांच करना और उन पर विचार करना।

II. इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उपयुक्त संवैधानिक तरीके सुझाना।

III. सुविधाएं, जो प्रदान न की गई हो तथापि जिन्हें प्रदान करना न्यायसंगत है, को दर्शाने वाले दिशा-निर्देशों का सुझाव देना

3. समिति के अध्यक्ष को समिति के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए सदस्यों को सहयोजित करने तथा उप-समितियों के गठन के अधिकार प्राप्त होंगे।

4. आशा है कि समिति बैठक की अपनी रिपोर्ट पहली तारीख से दो माह की अवधि के भीतर ही प्रस्तुत कर देगी।

5. प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो समिति के कार्य के लिए आवश्यक कार्यालयीन सहायता प्रदान करेगा।

6. गैर-सरकारी सदस्य, सहयोजित सदस्य अथवा उप-समिति के सदस्य भारत सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ह०/-
(अतुल बगई)
उपसचिव (ई०ई०)
दूरभाषः 3307781

प्रतिलिपि सूचना और कार्रवाई हेतु प्रेषितः

1. समिति के सदस्य

2. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव।

3. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा निदेशक।

4. आई०एफ०डी०/स्थापना-I शिक्षा सचिव के वैयक्तिक सचिव।

5. शिक्षा सचिव, भारत सरकार।

DU's Classes under Non-Collegiate System

3117. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the undergraduate Classes under Non-collegiate system of Delhi University (D.U.) are held on Sundays only;

(b) whether total days of classes are 38 days in one academic session under the system;

(c) whether the academic session for 2nd and 3rd year courses starts from November as the results of 1st year and 2nd year examination generally declared in middle of November every year;